डीजी परिपत्र संख्या: 18/ 2026

राजीव कृष्णा, IPS
पुलिस महानिदेशक एवं
राज्य पुलिस प्रमुख, उत्तर प्रदेश

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0
सिग्नेचर बिल्डिंग
शहीद पथ, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ – 226002
फोन नं.:0522–2724003 / 2390240, फैक्स नं.:0522–2724009
सीयूजी नं. 9454400101
ई–मेल : police.up@nic.in
वेबसाईट : https://uppolice.gov.in

दिनांकः लखनऊः मार्च ,2026

विषयः मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 528 BNSS संख्या – 596/2026 अनुरुद्ध प्रसाद उर्फ अनुरुद्ध तिवारी बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 25.02.2026 के अनुपालन में BNSS-2023 अथवा अन्य अधिनियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत परिवाद के प्रकरणों में FIR पंजीकृत नहीं किए जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

कृपया परिपत्र के साथ संलग्न Application U/S 528 BNSS No. 596/2026 Anurudh Prasad @ Anurudha Tiwari Vs. State of U.P. & Another में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांकित 25.02.2026 का संदर्भ ग्रहण करें। मा0 न्यायालय द्वारा BNS की धारा 82 में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किये जाने पर आपत्ति करते हुये निम्नवत टिप्पणी की गयी है—

> 3. Section 219 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 provides that no court shall take cognizance of an offence punishable under Sections 81 to 84 of Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 except upon a complaint made by some person aggrieved by the offence. However, in the present case, Section 82 of Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 has been invoked while lodging the FIR in Case Crime No.0014 of 2025, under Sections 115(2), 352, 351(3), 85 and 82(1) of Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 and Section 3/4 of Dowry Prohibition Act, Police Station Mahila Thana, District Shrawasti.
>
> 4. Sections 220, 221 and 222 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 further provides that there are certain other offences envisaged in Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, for which the court cannot take cognizance except on a complaint filed by the aggrieved person or State or a public servant as the case may be. Therefore, there is a specific bar that the court will not take cognizance of the offences which are mentioned in the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023.

2- मा0 उच्च न्यायालय द्वारा मुख्य रूप से यह मत व्यक्त किया गया है कि भारतीय न्याय संहिता, 2023 के कतिपय श्रेणी के अपराधों का संज्ञान पीड़ित पक्षकार द्वारा प्रस्तुत परिवाद के आधार पर ही लिया जा सकता है। मा0 न्यायालय ने इस संदर्भ में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 219, 220, 221 तथा 222 को संदर्भित किया है, जिसके अनुसार विवाह सम्बन्धी अपराधों (धारा-81 से 84 BNS) तथा मानहानि (defamation) (धारा-356 BNS) के अपराधों में परिवाद के आधार पर ही संज्ञान लेने की व्यवस्था है।

3- समान प्रकृति के एक प्रकरण में, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा Application U/s 428 CrPC No. 1808/2025 सुधीर कुमार गोयल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांकित 28.02.2025 के अनुपालन में पुलिस महानिदेशक, अभियोजन, उ0प्र0 द्वारा प्रदेश में लागू विशेष अधिनियमों की दो अलग-अलग सूचियाँ तैयार की गयीं, प्रथम सूची में वर्णित 31 विशेष अधिनियमों में मा0 न्यायालय में परिवाद दाखिल करने की प्रक्रिया निर्धारित है जबकि द्वितीय सूची में वर्णित 39 अधिनियमों में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किये जाने की प्रक्रिया निर्धारित है। पुलिस महानिदेशक, अभियोजन, उ0प्र0 ने अपने पत्र संख्या-पाँच-1-55-2024/1152/2024 दिनांकित 18.03.2025 **(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा उपरोक्त दोनों सूचियों को सर्वसम्बन्धित को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु प्रेषित किया गया था।

4- ऐसे अपराध जिनमें पीड़ित पक्षकार/सक्षम प्राधिकारी द्वारा मा0 न्यायालय के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किये जाने पर ही संज्ञान लिये जाने की व्यवस्था भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अथवा अन्य अधिनियमों में प्रावधानित है, उन अपराधों में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किया जाना विधिक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है। ऐसे प्रकरणों में आरोपपत्र प्रस्तुत किये जाने पर मा0 न्यायालय द्वारा संज्ञान नहीं लिया जा सकता है। इस प्रक्रियात्मक त्रुटि का लाभ अन्ततः अभियुक्त को ही मिलेगा और पीड़ित का हित विपरीत रूप से प्रभावित होगा।

5- मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त संदर्भित आदेश दिनांकित 25.02.2026 के अनुपालन में आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि संबंधित अपराध हेतु BNSS अथवा किसी विशेष अधिनियम में प्रथम सूचना रिपोर्ट पर संज्ञान लेने की व्यवस्था है अथवा पीड़ित पक्षकार द्वारा प्रस्तुत परिवाद पर संज्ञान लिया जा सकता है। ऐसे अपराध जिनमें पीड़ित पक्षकार/सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के आधार पर ही संज्ञान लेने की आज्ञापक व्यवस्था हो प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत नहीं की जायेगी। यदि पीड़ित व्यक्ति द्वारा ऐसे अपराध में, प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत परिवाद के आधार पर ही संज्ञान लेने की आज्ञापक व्यवस्था है तो पीड़ित पक्षकार/सक्षम प्राधिकारी को मा0 न्यायालय के समक्ष परिवाद प्रस्तुत करने के उसके विधिक अधिकार के बारे में बता दिया जाए।

कृपया मा0 उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्देश से अपने अधीनस्थों को अवगत कराते हुये इसका अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करायें। यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा इन निर्देशों के अनुपालन में शिथिलता बरती जाती है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाए।

<u>संलग्नकः यथोपरि।</u>

भवदीय

14/2

(राजीव कृष्णा)
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश

1. समस्त पुलिस आयुक्त,
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक,
   प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

<u>प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—</u>

1. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उत्तर प्रदेश।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

S-EPRO

ई-मेल/कोर्ट केस/महत्वपूर्ण

अभियोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश

शालीमार टावर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

पत्रांकः पॉच-1-55-2024/ 1152 /2024 दिनांकः 18 मार्च, 2025

1-समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।
2-जनपदीय पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक
3-समस्त परिक्षेत्रीय अपर निदेशक अभियोजन/जनपदीय संयुक्त निदेशक अभियोजन, उत्तर प्रदेश।

विषयः क्रि0अप्लीकेशन (482सीआरपीसी)संख्या-1808/2025 सुधीर गोयल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक-28.02.2025 के संबंध में।

कृपया क्रि0अप्लीकेशन (482सीआरपीसी)संख्या-1808/2025 सुधीर गोयल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य संबंधित मु0अ0सं0-18/2024 धारा 420,406 भा0द0वि0 व 138 एन0आई0 एक्ट में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांकित-06.02.2025 के प्रभावी अंश निम्नवत है-

4. After some argument, it has been noted that the police have been registering FIRs under the provisions of Special Acts, such as the Mines and Minerals Act, the Drugs and Cosmetics Act, and other similar legislation, where cognizance is legally barred on the police report. As a result, the S.S.P. of Bulandshahar is hereby directed to prepare a comprehensive report including suggestions in consultation with the D.G. Prosecution, Lucknow, Uttar Pradesh, and other relevant stakeholders, detailing cases where the registration of FIRs by the police is prohibited under these Acts.

उपर्युक्त प्रकरण में श्री कुलदीप सिंह चौहान, अपर शासकीय अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के संलग्न पत्रांक-क्रि./4082/इलाहाबाद दिनांकित-12.03.2025 द्वारा क्रि0अप्लीकेशन (482सीआरपीसी) संख्या-1808/2025 सुधीर गोयल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य संबंधित मु0अ0सं0-18/2024 धारा 420,406 भा0द0वि0 व 138 एन0आई0 एक्ट में दिनांक-12.03.2025 को सुनवाई उपरान्त मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिये मौखिक आदेश से निम्नवत अवगत कराया है-

Hon'ble Court orally directed to the Director Prosecution, Lucknow and SSP Bulandshahr to issue advisory in all over Uttar Pradesh regarding to those act in which Section lodge FIR or in which section lodge complaint. By which all police officers who look into advisory before lodge FIR.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलंदशहर द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेश के अनुपालन में पत्रांक-रिट मिस (को0देहात)/2025 दिनांकित-17.03.2025 द्वारा "विशेष अधिनियम जिनमें परिवाद दाखिल किये जाने की प्रकिया निर्धारित है तथा ऐसे विशेष अधिनियम जिनमें प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किये जाने की प्रकिया निर्धारित है, के संबंध में कृत कार्यवाही से अवगत कराया गया है तथा अभियोजन निदेशालय स्तर से दिशा-निर्देश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक-12.03.2025 को दिये गये मौखिक आदेशों का अनुपालन किये जाने हेतु श्री कुलदीप सिंह चौहान, अपर शासकीय अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के संदर्भित पत्र दिनांकित-12.03.2025 एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलंदशहर के पत्र दिनांकित-17.03.2025 के कम में विभिन्न अधिनियमों में परिवाद या एफआईआर पंजीकृत करने के सम्बन्ध मे निहित प्राविधान निम्नवत हैः-

(1) विशेष अधिनियम जिनमें माननीय न्यायालय मे परिवाद दाखिल किये जाने की प्रकिया निर्धारित है"-

1- The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005
2- Negotiable Instruments Act, 1881
3- Mines and Minerals(Development and Regulation) Act, 1957
4- Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (PCPNDT) Act, 1994
5- Consumer Protection Act, 2019

...2/

6- Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960
7- Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986
8- The Air(Prevention and Control of Pollution) Act, 1981
9- Wildlife (Protection) Act, 1972
10- Environment Protection Act, 1986
11- The Import and Export (Control) Act, 1947
12- Prevention of Food Adulteration Act, 1954
13- National Food Security Act, 2013
14- Trade Marks Act, 1999
15- Transplantation of Human Organs and Tissues Act, 1994
16- Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition, and Redressal) Act, 2013
17- The Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974
18- The Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995
19- The Foreign Exchange Management Act, 1999
20- Insecticide Act 1968
21- Notaries Act 1952
22- Insurance Act 1938
23- The Antiquities and Art Treasures Act, 1972
24- Industrial Disputes Act, 1947
25- Food Safety and Standards Act, 2006
26- The Diaster Management Act, 2005
27- The National Medical Commission Act, 2019
28- The Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply And Purchase) Act, 1953
29- Fire Prevention and Fire Safety Act, 2005
30- The Dowry Prohibition Act, 1961. (Section:07-1(b)(ii) a complaint by the person aggrieved by the offence or a parent or other relative of such person, or by any recognised welfare institution or organization)
31- Standards of Weights and Measures Act, 1976

(2) <u>विशेष अधिनियम जिनमे एफ0आई0आर0 पंजीकृत किये जाने की प्रकिया निर्धारित है:—</u>

1- The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985
2- Arms Act, 1959
3- Essential Commodities Act,1955
4- Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989.
5- Protection of Children from Sexual Offences Act,2012
6- Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act.2015
7- Explosive Act, 1884.
8- Explosive Substances Act, 1908.
9- Criminal Law Amendment Act, 1932.
10- The Uttar Pradesh Prevention of Cow Slaughter Act, 1955.
11- The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Act, 2019.
12- Prevention of Corruption Act, 1988.
13- Information Technology Act,2000
14- The Uttar Pradesh Control of Goondas Act, 1970.
15- United Provinces Excise Act,1910
16- Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956.
17- The Cinematograph Act,1952
18- The Prevention of Cruelty to Animal Act, 1960.
19- Copyright Act, 1957.
20- Public Gambling Act, 1867.
21- The Prevention of Damage to Public Property Act, 1984.
22- The Representation of the People Act, 1951.
23- The Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967.
24- The Uttar Pradesh Protection of Trees Act, 1976.
25- The Uttar Pradesh Ragging in Educational Institutions Act, 2010
26- The Uttar Pradesh Public Examination (Prevention of Unfair Means) Act, 2024.
27- The Uttar Pradesh Electric Wire and Transformers (Prevention and Punishment of Theft) Act, 1976

28- The Weapons of Mass Destruction and their Delivery System (Prohibition of Unlawful Activities) Act, 2002.
29- Coinage Act, 2011
30- The Small Coin (Offences) Act, 1971.
31- The Religious Institutions (Prevention of Misuse) Act, 1988.
32- The Dowry Prohibition Act, 1961. (Section:07-1(b) (i) its own knowledge or a police report of the facts which constitute such offence)
33- The Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisment) Act, 1954.
34- The Prize Chits and Money Circulation Schemes (Banning) Act,1978.
35- The Places of Worship (Special Provisions) Act, 1991.
36- Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986.
37- The Lotteries (Regulation) Act, 1998
38- Passport Act, 1967.
39- The Chits Fund Act, 1982.

उपरोक्त सूची अनन्तिम है।

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि आप अपने स्तर से संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें कि भविष्य मे थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करने से पूर्व यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाये कि उक्त अपराध मे आकर्षित होने वाले अधिनियम/धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किये जाने की व्यवस्था है अथवा परिवाद दाखिल किये जाने की। उपरोक्तानुसार सुनिश्चित किये जाने के पश्चात ही प्रकरण में तद्नुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कर विवेचना की जाये अन्यथा परिवाद दाखिल किये जाने के संबंध में अपेक्षित वैधानिक कार्यवाही की जाये, जिससे कि भविष्य में किसी भी प्रकरण में अग्रेत्तर न्यायिक कार्यवाही के दौरान विधिक असंगतता उत्पन्न न हो। आदेश का अक्षरशः पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

Signed by
Dipesh Juneja
Date: 18-03-2025 18:43:25
(दिपेश जुनेजा)
पुलिस महानिदेशक अभियोजन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

<u>प्रतिलिपिः—</u>

निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1—प्रमुख सचिव न्याय उ0प्र0 शासन लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2—सचिव, गृह उ0प्र0 शासन लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3—शासकीय अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ।
4—समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5—अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, उ0प्र0 लखनऊ को अपने स्तर से भी सर्वसंबंधित को निर्देशित किये जाने हेतु प्रेषित।
6—समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

राजीव कृष्णा, IPS
पुलिस महानिदेशक एवं
राज्य पुलिस प्रमुख, उत्तर प्रदेश

डीजी परिपत्र संख्या- 18-A /2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0
सिग्नेचर बिल्डिंग
शहीद पथ, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ – 226002
फोन नं.0522–2724003 / 2390240, फैक्स नं.0522–2724009
सीयूजी नं. 9454400101
ई–मेल : police.up@nic.in
वेबसाईट : https://uppolice.gov.in

दिनांक:लखनऊ:अप्रैल 23, 2026

विषय: डीजी परिपत्र संख्या-18/2026 दिनांकित 14.03.2026 के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण (Clarification)।

प्रिय महोदय/महोदया,

डीजी परिपत्र संख्या-18/2026 दिनांकित 14.03.2026 द्वारा BNSS-2023 तथा अन्य अधिनियमों में दिये गये प्राविधानों के अनुसार परिवाद योजित किये जाने योग्य प्रकरणों में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत न किये जाने के सम्बन्ध निर्देश निर्गत किये गये हैं, जिसके प्रस्तर-3 में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत 482 संख्या-1808/2025 सुधीर कुमार गोयल बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश का संदर्भ आया है।

2- मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त संदर्भित निर्णय दिनांकित 12.08.2025 के प्रस्तर-17 में ऐसे 31 विशेष अधिनियमों की सूची दी गयी है, जिनमें परिवाद के आधार पर संज्ञान लेने की प्रक्रिया प्रावधानित है तथा प्रस्तर-17.1 में ऐसे 39 अधिनियमों की सूची दी गयी है, जिसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की जा सकती है। The Dowry Prohibition Act 1961, प्रथम सूची में क्रमांक-xxx पर तथा द्वितीय सूची में क्रमांक-xxxii पर है, इसी प्रकार Prevention of Cruelty to Animals Act 1960, प्रथम सूची में क्रमांक-xi पर तथा द्वितीय सूची में क्रमांक-xviii पर है। उपरोक्त अधिनियमों के दोनों सूचियों में होने का तात्पर्य यह है कि इन अधिनियमों की कतिपय धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की जा सकती है तथा कतिपय धाराओं में परिवाद पंजीकृत किये जाने के प्रावधान है।

1. **The Dowry Prohibition Act 1961 की धारा-7(1)(b) में संज्ञान लिये जाने के सम्बन्ध में निम्नवत व्यवस्था है—**

Section-7(1)(b) no court shall take cognizance of an offence under this Act except upon—

> (i) its own knowledge or a police report of the facts which constitute such offence, or
> (ii) a complaint by the person aggrieved by the offence or a parent or other relative of such person, or by any recognised welfare institution or organisation;

धारा-7(1)(b) के उपरोक्त प्राविधान से स्पष्ट है कि यद्यपि पक्षकारों को परिवाद दाखिल करने का विकल्प है किन्तु, The Dowry Prohibition Act 1961 के अपराध की शिकायत थाने पर प्राप्त होने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की जायेगी।

2. **Prevention of Cruelty to Animals Act 1960 की धारा-31 में अपराधों के संज्ञेय (Cognizable) होने के सम्बन्ध में निम्नवत व्यवस्था है—**

> "Section-31.**Cognizability of offences.**—Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1898 (5 of 1898), an offence punishable under clause (*l*), clause (n) or clause (o) of sub-section (1) of section 11 or under section 12 shall be a cognizable offence within the meaning of that Code."

......................2

धारा-31 में दी गयी उपरोक्त व्यवस्था के अनुरूप Prevention of Cruelty to Animals Act 1960 के **संज्ञेय धाराओं के अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की जायेगी** तथा अन्य धाराओ हेतु "असंज्ञेय अपराध" के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

3- अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि The Dowry Prohibition Act 1961 तथा Prevention of Cruelty to Animals Act 1960 के उपरोक्त प्राविधानों से अपने अधीनस्थों को अवगत कराते हुये अक्षरशः अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:यथोपरि।

भवदीय

3/1

(राजीव कृष्णा)
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश

1. समस्त पुलिस आयुक्त,
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
   प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उत्तर प्रदेश।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
5. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, विधि प्रकोष्ठ, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०।